संदर्भ सं./ **Ref no.** NH/CS

दिनांक/ Date : 24.07.2026

सेवा में,

डॉ. बर्नाडेट लिंगदोह

स्वतंत्र निदेशक

एवरिसा, बिष्णुपुर रोड,

रेलवे गेस्ट हाउस, शिलांग के पीछे,

मेघालय- 793004

विषय: एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के लिए नियुक्ति पत्र।

संदर्भ: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का दिनांक 16.07.2026 का पत्र

महोदया,

हमें आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बोर्ड ने आपको, अगली आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, दिनांक 24.07.2026 से बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (8) के साथ पठित अनुसूची IV के तहत, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को नियुक्ति पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाना अपेक्षित है। इस नियुक्ति पत्र में आपकी नियुक्ति सहित निबंधन एवं शर्तों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

क) **नियुक्ति की अवधि**- शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16.07.2026 के आदेश सं. 2/13/2021-NHPC के अनुसार 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक।

ख) **स्वतंत्रता की घोषणा -** कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं (समय-समय पर यथा संशोधित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (एलओडीआर) (समय-समय पर यथा संशोधित) दोनों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में कार्यकाल के दौरान 'स्वतंत्र' होने के सभी मानदंडों को पूरा करना। इस संबंध में, कंपनी के बोर्ड को वार्षिक आधार पर यह पुष्टि करते हुए घोषणा प्रस्तुत करनी होगी है कि स्वतंत्रता की अपेक्षाओं को पूरा किया जा रहा है। यदि किसी भी समय परिस्थितिवश कोई परिवर्तन होता है जो स्वतंत्र निदेशक की स्थिति को प्रभावित कर सकता है, तो उसे बोर्ड के ध्यान में तुरंत लाया जाना चाहिए।

ग) **बोर्ड की अपेक्षा -** बोर्ड अपनी कार्यवाहियों में स्वतंत्र विचार एवं राय प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। स्वतंत्र निदेशक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह बोर्ड स्तर पर प्रभावी निर्णय लेने में अपना समय, विशेषज्ञता और अनुभव प्रदान करे। स्वतंत्र निदेशक से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के तहत प्रदान किए गए स्वतंत्र निदेशकों के लिए व्यावसायिक आचरण का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है।

घ) **समितियों में शामिल करना –** बोर्ड कंपनी अधिनियम, एलओडीआर की अपेक्षाओं के अनुसार या प्रशासनिक सुविधा के लिए बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों का गठन करता है। स्वतंत्र निदेशक से समय-समय पर इन समितियों में शामिल होने की आशा की जाती है। समिति (यां) बोर्ड द्वारा अनुमोदित विचारार्थ विषय के अनुसार

कार्य करती हैं। आवश्यकता के अनुसार, सदस्यता और विचारार्थ विषय को बोर्ड द्वारा समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकता है। वर्तमान में, कंपनी की संबंधित विचारार्थ विषय के साथ निम्नलिखित समितियां हैं।

S. No.	Name of the Committee(s)	Terms of Reference
1	लेखापरीक्षा समिति	**Annexure A**
2	हितधारक संबंध समिति	
3	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	
4	जोखिम प्रबंधन समिति	
5	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय संबंधी निदेशकों की समिति	
6	एनएचपीसी सिक्योरिटीज के आवंटन और आवंटन के बाद की गतिविधियों के लिए निदेशकों की समिति	
7	निदेशक समिति-अपीलीय प्राधिकारी	
8	बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुबंधों में विचलन/परिवर्तन के अनुमोदन के लिए समिति	

ङ) भूमिकाएं, कर्तव्य और दायित्व

आपकी भूमिका, कर्तव्य और दायित्व वे होंगें जो कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी एलओडीआर, समय-समय पर यथा संशोधित के तहत एक स्वतंत्र निदेशक के लिए अपेक्षित हैं। आपके सुलभ संदर्भ के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149(8) के तहत स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता की प्रति **अनुलग्नक- ख** पर संलग्न है।

I. आप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166 के अनुसार निम्न कार्य करेंगे:

i. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार कार्य करना।

ii. समग्र रूप से अपने सदस्यों के लाभ के लिए, और कंपनी के सर्वोत्तम हित में, उसके कार्मिकों, शेयरधारकों, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और समुदाय के सर्वोत्तम हित में कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करना।

iii. यथोचित और उचित दायित्व, कौशल और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना।

iv. ऐसी स्थिति में स्वयं को शामिल न करें जिसमें आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो सकता है जो कंपनी के हितों का टकराव करता है, या संभवतः संघर्ष हो सकता है।

v. अपने या अपने रिश्तेदारों, भागीदारों या सहयोगियों को कोई अनुचित लाभ या लाभ प्राप्त करने या प्राप्त करवाने का प्रयास नहीं करेंगे।

vi. निदेशक के रूप में अपने कार्यालय को न सौंपें और इस प्रकार किया गया कोई भी कार्य अमान्य होगा।

II. निदेशक के दायित्व -

क) बोर्ड और समितियों की कार्यवाही की गोपनीयता सुनिश्चित करें।

ख) 'प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग' में प्रवेश नहीं करना। कंपनी के पास 'विनियमन हेतु आचार संहिता, नामित व्यक्तियों और नामित व्यक्तियों के निकटतम रिश्तेदारों और आंतरिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार की निगरानी और रिपोर्ट करना' और 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचरण संहिता और प्रक्रिया' जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि कीमत-संवेदनशील जानकारी का उपयोग या प्रसारण ना किया जाए और इसका सुरक्षित रूप से रखरखाव किया जाए। जब जानकारी आपके अधिकार में हो, आप कीमत संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को हमेशा बनाए रखेंगे। आचार संहिता अलग से दी जाएगी।

ग) कंपनी और इसकी सहायक कंपनी और/या सहयोगी कंपनी की प्रतिभूतियों के लेन-देन में शामिल नहीं होना।

च) निदेशकों और अधिकारियो (डी एंड ओ) का बीमा- कंपनी ने वार्षिक नवीकरणीय डी एंड ओ बीमा पॉलिसी ली है। इस पॉलिसी में कंपनी के सभी निदेशकों और अधिकारियों को कवर किया गया है।

छ) व्यापार आचार संहिता– कंपनी के पास एनएचपीसी के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा पालन की जाने वाली एक आचार संहिता है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। यह आचार संहिता अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। इस संहिता में नियत सिद्धांत अनुपालन और नैतिकता के व्यापक मानकों को निर्धारित करते हैं। इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है।

ज) पारिश्रमिक एवं व्यय

I. आपको बोर्ड और बोर्ड द्वारा समय-समय पर लागू कानून के अनुपालन में गठित की गई समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के रूप में पारिश्रमिक दिया जाएगा।

IV. वर्तमान में बोर्ड की बैठक के लिए 40,000/- रुपये और बोर्ड स्तर की समिति या बोर्ड द्वारा गठित किसी अन्य समिति की बैठक के लिए 40,000/- रुपये हैं।

III. बैठक शुल्क के भुगतान के अतिरिक्त, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए लागू मौजूदा प्रावधानों के अनुसार आप बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भोजन, आवास और यात्रा व्यय के लिए पात्र होंगे।

झ) स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, कंपनी को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी, उनकी भूमिकाओं, अधिकारों, कंपनी में जिम्मेदारियों, कंपनी द्वारा संचालित उद्योग की प्रकृति, कंपनी के व्यापार मॉडल आदि के बारे में परिचित कराना आवश्यक है। कंपनी बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित/प्रायोजित करेगी। बोर्ड/समिति के सदस्य के रूप में, आप ऐसे परिचय कार्यक्रमों में भाग लेने का प्रयास करेंगे।

ञ) गोपनीयता

i. निदेशक के रूप में आपकी भूमिका में कंपनी और उसके मामलों के बारे में गोपनीय जानकारी आपके पास रहेगी। आप उस जानकारी का उपयोग केवल अपने कर्तव्यों के उचित निष्पादन में या विधि द्वारा अपेक्षित रूप में ही कर सकते हैं; आपको इसका उपयोग स्वयं या दूसरों के लाभ के लिए या कंपनी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करेंगे।

ii. निदेशक के रूप में, आप अधिनियम और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी विनियमों के तहत निर्धारित आंतरिक व्यापार और अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण संबंधी निषेध और प्रतिबंधों के अधीन और उनसे आबद्ध हैं। आपको सेबी (आंतरिक व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 (समय-समय पर संशोधित या प्रतिस्थापित) के अनुसार बनाए गए 'नामित व्यक्तियों और नामित व्यक्तियों और आंतरिक लोगों के निकट रिश्तेदारों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता' और 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचरण संहिता और प्रक्रियाओं' का सख्ती से अनुपालन करना होगा।

ट)बोर्ड द्वारा मूल्यांकन

कंपनी "बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और कंपनी के निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन नीति" के अनुसार वार्षिक आधार पर समग्र रूप से बोर्ड, बोर्ड समितियों और निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन करेगी।

ठ)सेवा समाप्ति

i. आप किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस्तीफे का कारण बताते हुए विद्युत मंत्रालय और बोर्ड को यथोचित लिखित रूप में सूचना दें।

ii. आपकी नियुक्ति का विस्तार इस बात पर निर्भर है कि आप स्वतंत्र निदेशक के रूप में बने रहने के लिए तैयार हैं या नहीं, तथा शेयरधारकों द्वारा लागू कानूनों के अनुसार आपको पुनः नियुक्त किया जाता है या नहीं।

ड) विविध:

i. आपकी नियुक्ति अधिनियम और एलओडीआर के प्रावधानों सहित लागू कानूनों के अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य निदेशक पदों के अधीन है।

ii. आप कंपनी के कार्मिक नहीं होंगे और यह पत्र रोजगार का अनुबंध नहीं माना जाएगा।

iii. आप सात से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेंगे: बशर्ते कि यदि आप किसी सूचीबद्ध संस्था में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आप तीन से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेंगे।
सूचीबद्ध संस्थाओं की संख्या, जिनमें व्यक्ति निदेशक/स्वतंत्र निदेशक है, की गणना उन संस्थाओं के संचयी होगी जिनके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज तथा उच्च मूल्य वाली ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं में सूचीबद्ध हैं।

iv. आप दस से अधिक समितियों में सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेंगे या सभी सूचीबद्ध संस्थाओं में पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेंगे, जिनमें आप निदेशक हैं, जिसका निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:
   क. सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में, चाहे वे सूचीबद्ध हों या नहीं, किसी निदेशक द्वारा सेवा दी जा सकने वाली समितियों की सीमा को इसमें शामिल किया जाएगा तथा निजी लिमिटेड कंपनियों, विदेशी

कंपनियों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों सहित सभी अन्य कंपनियों को इससे बाहर रखा जाएगा।

ख. सीमा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता और सदस्यता पर ही विचार किया जाएगा।

आपकी नियुक्ति, पारिश्रमिक, व्यावसायिक आचार संहिता, भूमिकाएं, कार्य, कर्तव्य और दायित्वों सहित उल्लिखित सभी नियम और शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अधीन होंगी, साथ ही इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन सहित) और समय-समय पर संशोधित एलओडीआर की कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं के अनुसार होंगी।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ता/-

(महेश कुमार शर्मा)

निदेशक (कार्मिक)

डीआईएन: 11306355

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की समितियों के विचारार्थ विषय

(i) <u>लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय:</u>

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है ।
2. बोर्ड को लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश करना ।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए लेखापरीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति देना ।
4. प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की तत्संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले , निम्नलिखित विशेष संदर्भ में:

   क) बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित मामले;
   ख) लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं और उसके कारणों में परिवर्तन, यदि कोई हो;
   ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;
   घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
   ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग और अन्य विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन;
   च) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण; और
   छ) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित अभिमत

5. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना ।
6. प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना ।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज, और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की समीक्षा करना ।
8. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना ।
9. आंतरिक लेखा परीक्षकों / लेखा परीक्षकों / एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है, और उक्त्त मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना ।
10. लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्य क्षेत्र के साथ-साथ किसी भी अन्य क्षेत्र पर पोस्ट ऑडिट चर्चाए लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना ।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना ।
12. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्य प्रणाली की समीक्षा करना ।
13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना ।

14. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना ।
15. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना ।
16. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन की स्वीकृति या बाद में कोई संशोधन करना ।
17. कवरेज, अनावश्यक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ समीक्षा करना ।
18. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और उसकी समीक्षा करना:
    क) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और
    ख) प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें ।
19. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और उसकी समीक्षा करना:
    क) पिछली लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, और
    ख) गतिविधियों के कार्य क्षेत्र या आवश्यक जानकारी तक पहुंच पर किसी भी प्रतिबंध सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई ।
20. लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना ।
21. इंटर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा करना ।
22. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, जहां कहीं आवश्यक हो ।
23. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना ।
24. किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, प्रस्ताव दस्तावेज़/विवरणिका में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण और सार्वजनिक या राइट इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा नोटिस प्रस्तुत करना और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना ।
25. बोर्ड के साथ कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक की सिफारिश करना ।
26. निम्नलिखित की समीक्षा करना :
    i) प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों का विश्लेषण ।
    ii) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किया गया प्रबंधन का पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमियों से संबंधी पत्र;
    iii) आंतरिक नियंत्रण कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।

27. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और इन्हे पद से हटाने की समीक्षा ।
28. कंपनी द्वारा ऋण और/या अग्रिम/निवेश सहायक कंपनी में 100 करोड़ रुपये से अधिक या सहायक कंपनी की संपत्ति के आकार के 10%, जो भी कम हो, में उपयोग की समीक्षा करना।
29. वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करना ।

30. यह सत्यापित करना कि सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 में दी गई अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणाली पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।
31. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की स्वीकृति देना ।
32. कंपनी और उसके शेयरधारकों पर विलयन, डीमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार करना और उस पर टिप्पणी करना ।
33. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और डीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस की दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में उल्लिखित किसी भी अन्य कार्य को करना ।

****

(ii)नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय

1. निदेशक की सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता को निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करना ।
2. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों सहित बोर्ड और बोर्ड स्तर के नीचे स्तर के कर्मचारियों के लिए वार्षिक बोनस/प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) के वितरण की सिफारिश करना और इसके वितरण के लिए नीति बनाना ।
3. स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना ।
4. बोर्ड विविधता पर नीति बनाना ।
5. उन व्यक्तियों की पहचान करना जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है और बोर्ड को उनकी नियुक्ति और इन्हे हटाने की सिफारिश करना ।
6. अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल हेतु अन्य भत्तों और अनुलाभों आदि की जांच करना और अनुशंसा करना ।
7. बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन के सभी पारिश्रमिक, चाहे किसी भी रूप में हो, की सिफारिश करना।
8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, बोर्ड में कौशल, विवेक और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी ।
9. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और डीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत किसी अन्य कार्य, जैसा अपेक्षित हो, को करना ।

(iii) हितधारकों की संबंध समिति के Terms of Reference:

1. Resolving the grievances of the security holders including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
2. Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
3. Review of adherence to the service standards adopted in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
4. Review of the various measures and initiatives taken for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensure timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.
5. To periodically review NHPC Stakeholder Engagement Policy and its proper implementation with respect to its suitability and effectiveness.
6. To Carry out any other function, as required by the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (LODR) and Corporate Governance Guidelines issued by DPE.

(iv) जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय:

1. एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
   (क) वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, संधारणीयता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किया कोई अन्य जोखिम सहित विशेष रूप से कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान करने के लिए एक संरचना बनाना ।
   (ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम कम करने के उपाय करना ।
   (ग) व्यापार निरंतरता योजना ।
2. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं;
3. जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करना ।
4. दो वर्ष में कम से कम एक बार, उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति की समय समय पर समीक्षा करना
5. निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और प्रकरण के बारे में सूचित करना;
6. मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी ।
7. किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज़ या प्रकटीकरण में जोखिम प्रकटीकरण विवरणों का अनुमोदन और इसकी समीक्षा करना ।
8. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) और डीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत किसी अन्य कार्य, जैसा अपेक्षित हो, को करना ।

(v) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति के विचारार्थ विषय:

1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता नीति, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी, को तैयार करना और बोर्ड को उस पर अनुशंसा करना;
2. कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता नीति की समय-समय पर निगरानी करना;
3. क्रम. सं. 1 में निर्दिष्ट गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली राशि की सिफारिश करना;
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों पर सिफारिश की समीक्षा करना;
5. सीएसआर नीति और सीएसआर नियमावली, समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करना और बोर्ड को इस पर सिफारिश करना ।
6. कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करना;
7. कंपनी की सीएसआर पहलों पर रणनीति तैयार करने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग देना;
8. नियमावली में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री को अनुमोदित करना, और अन्य बातों के साथ-साथ इस उत्तरदायित्व बयान को शामिल करना कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है;
9. निदेशक मंडल को उनकी जानकारी, विचार और आवश्यक निर्देशों के लिए समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
10. वार्षिक व्यापार उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट को अनुमोदित करना, और
11. समय-समय पर संशोधित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति संबंधी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना ।

(vi) एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन पश्चात की गतिविधियों के लिए निदेशकों की समिति के विचारार्थ विषय:

1. प्रतिभूतियों से संबंधित सर्टिफिकेटस को जारी करना;
2. प्रतिभूतियों का स्तांतरण और संचारण;
3. प्रतिभूति प्रमाणपत्र(त्रों) का पुन: भौतिकीकरण;
4. प्रतिभूतियों से संबंधित डुप्लीकेट सर्टिफिकेटस जारी करना; और
5. एनएचपीसी की प्रतिभूतियों का समेकन/विभाजन ।

(vii) अपीलीय प्राधिकारी के विचारार्थ विषय:

समिति को सीडीए नियमों के संदर्भ में उसके समक्ष रखे गए मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना है ।

(VIII) Committee for approval of deviations/ variations in the Contracts approved by the Board

To exercise powers of the Board under clause 5 (c) of Annexure A of DOP for deviations/ variations resulting cumulatively in an increase in the contract value of the contracts approved by the Board upto the limit of 50% of the value of the Contract

नोट: इस दस्तावेज के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण के बीच किसी भी विसंगतियों के मामले में, दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण लागू होगा।

अनुसूची 4

[धारा 149 (8) देखें]

स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता

संहिता स्वतंत्र निदेशकों के वृत्तिक आचरण के लिए मार्गनिर्देशिका है। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा इन मानकों के प्रति अनुषक्त होना और अपने उत्तरदायित्वों को वृत्तिक और निष्ठापूर्ण रीति में पूरा करने से विनिवेश समुदाय, विशेषकर अल्पशेयर धारकों; विनियामकों और कंपनियों का स्वतंत्र निदेशकों की संस्था में विश्वास वर्धन होगा।

I. वृत्तिक आचरण के मार्गनिर्देश:

कोई स्वतंत्र निदेशक :

(1) निष्ठा और ईमानदारी के नैतिक मानकों को बनाए रखेगा;

(2) अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय वस्तुपरक और रचनात्मक ढंग से कार्य करेगा;

(3) अपने उत्तरदायित्वों का प्रयोग सद्भावपूर्ण रीति में कंपनी के हित में करेगा;

(4) सूचनाबद्ध और संतुलित निर्णय करने के लिए अपनी वृत्तिक बाध्यताओं पर पर्याप्त समय और ध्यान देगा ;
(5) निर्णय करने में बोर्ड के सामूहिक निर्णय से सहमत होने या असहमत होने के दौरान किन्हीं बाह्य विचारों को अनुज्ञात नहीं करेगा जो संपूर्ण कंपनी के सर्वोपरि हितों के बारे में उसके वस्तुपरक स्वतंत्र निर्णय का प्रयोग करने को संदूषित करे;

(6) कंपनी या उसके शेयर धारकों की हानि या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ या किसी सहबद्ध व्यक्ति के लाभ के प्रयोजन के लिए अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा;

(7) किसी ऐसी कार्रवाई से विरत रहेगा जिससे उसकी स्वतंत्रता भंग होती हो ;

(8) जहां ऐसी परिस्थितियां उद्भूत होती हैं जिनसे स्वतंत्र निदेशक की स्वतंत्रता भंग होती है, वहां स्वतंत्र निदेशक को तद्नुसार तत्काल बोर्ड को सूचित करना चाहिए;

(9) कंपनी को सर्वोत्तम कारपोरेट शासन व्यवहारों के क्रियान्वयन में सहायता करेगा।

II. भूमिका और कृत्य :

स्वतंत्र निदेशक:

(1) विशेषकर रणनीति, निष्पादन, जोखिम प्रबंधन, संसाधन, प्रमुख नियुक्तियों और आचरण के मानकों के विवाद्यकों पर बोर्ड के विचार-विमर्श पर स्वतंत्र निर्णय करने में सहायता करेगा;

(2) बोर्ड और प्रबंधन के निष्पादन के मूल्यांकन में वस्तुपरक दृष्टिकोण रखेगा,

(3) सहमत लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन के निष्पादन की संवीक्षा करेगा तथा निष्पादन की रिपोर्टिंग मानीटर करेगा;

(4) वित्तीय जानकारी की निष्ठा और वित्तीय नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन के तंत्र सख्त और रक्षणीय होने के बारे में स्वयं का समाधान करेगा;

(5) सभी पणधारियों, विशेषकर अल्प शेयर धारकों के हितों का रक्षण करेगा;

(6) पणधारियों के विरोधाभासी हितों का संतुलन करेगा;

(7) कार्यकारी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक के उपयुक्त स्तरों का अवधारण करेगा तथा कार्यकारी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति और जहां आवश्यक हो उनको हटाने की सिफारिश करेगा;

(8) प्रबंधन और शेयर धारकों के हितों के बीच टकराव की स्थिति में कंपनी के संपूर्ण हित में अनुसीमन और मध्यस्थता करेगा।

III. कर्तव्य :

स्वतंत्र निदेशक :

(1) समुचित प्रवेश कराएगा तथा कंपनी के साथ अपना कौशल, ज्ञान और जानकारी को नियमित रूप से अद्यतन और पुनश्चर्चित करेंगे;

(2) सूचना का उचित स्पष्टीकरण और वर्धन करेंगे और जहां आवश्यक हो, कंपनी के व्यय पर बाहरी विशेषज्ञों की उचित वृत्तिक सलाह और राय लेंगे तथा उसका अनुसरण करेंगे;

(3) निदेशक बोर्ड की सभी बैठकों और बोर्ड समितियों, जिनके वह सदस्य हैं, में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे;

(4) बोर्ड की समितियों में जिनमें वे अध्यक्ष या सदस्य हैं; रचनात्मक और सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे;

(5) कंपनी की साधारण बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे;

(6) जहां उन्हें कंपनी चलाने या प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में चिन्ता है, वहाँ वे सुनिश्चित करेंगे कि उन पर बोर्ड द्वारा ध्यान दिया जाए और उनके हल न होने की सीमा तक, इस बात पर जोर देंगे कि उनकी चिन्ताओं को बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाए;

(7) कंपनी और उस वातावरण, जिसमें वह प्रचालित होती है, के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी रखेंगे;

(8) अन्यथा उचित बोर्ड या बोर्ड की समिति के कार्य में अऋजु नहीं डालेंगे;

(9) पर्याप्त ध्यान देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित पक्षकार संव्यवहारों को अनुमोदन करने से पूर्व पर्याप्त सूझबूझ का प्रयोग हो तथा स्वयं को आश्वस्त करेंगे कि वे कंपनी के हित में हैं;

(10) यह अभिनिश्चित और सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी के पास पर्याप्त और कार्यात्मक सतर्कता प्रणाली हो तथा यह सुनिश्चित करना कि उस व्यक्ति के हितों पर, जो ऐसी प्रणाली का उपयोग करता है, ऐसे उपयोग के कारण प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(11) अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद कपट या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के बारे में रिपोर्ट करेगा;

(12) अपने प्राधिकार के भीतर कार्य करते हुए, कंपनी, शेयर धारकों और उसके कर्मचारियों के वैध हितों के संरक्षण में सहायता करेगा;

(13) वाणिज्यिक गुप्त सूचनाओं, प्रौद्योगिकियों, विज्ञापनों और विक्रय संवर्धन योजनाओं, अप्रकाशित कीमत संवेदी सूचना समेत गोपनीय सूचना का प्रकटन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्रकटन का अनुमोदन अभिव्यक्त रूप से बोर्ड द्वारा अनुमोदित न किया जाए या विधि द्वारा अपेक्षित न हो।

IV. नियुक्ति की रीति:

(1) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया कंपनी प्रबंधन से स्वतंत्र होगी: स्वतंत्र निवेशकों का चयन करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड में कौशल, अनुभव और ज्ञान का उचित संतुलन हो जिससे बोर्ड अपने कृत्यों और कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में समर्थ हो सके;

(2) कंपनी के निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति शेयर धारकों की बैठक में अनुमोदित की जाएगी;

(3) स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन करने के लिए बैठक के नोटिस के साथ संलग्न स्पष्टीकारक कथन में एक कथन सम्मिलित होगा कि बोर्ड की राय में, नियुक्ति के लिए प्रस्तावित स्वतंत्र निदेशक अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है और प्रस्तावित निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र है:

(4) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, नियुक्ति-पत्र द्वारा औपचारिकताबद्ध की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित उपवर्णित होगाः

(क) नियुक्ति की अवधि;

(ख) नियुक्त निदेशक से बोर्ड की अपेक्षाएं; बोर्ड स्तर की समिति (समितिया) जिसमें निदेशक द्वारा सेवा की अपेक्षा की जाती है और उसके कार्य;

(ग) वैश्वासिक कर्तव्य जो सहबद्ध दायित्वों के साथ ऐसी नियुक्ति से जुड़े होते हैं;

(ध) निदेशक और अधिकारी बीमा के लिए उपबंध, यदि कोई हों;

(ङ) कारोबार नैतिकता संहिता जो कंपनी अपने निदेशकों और कर्मचारियों से अनुसरण करने की अपेक्षा करती है;

(च) कार्यों की सूची जो निदेशक को कंपनी में इस रूप में कार्य करते समय नहीं करने चाहिएं; और

(छ) पारिश्रमिक, कालिक फीसों का वर्णन, बोर्ड और अन्य बैठकों में भागीदारी के लिए व्ययों की प्रतिपूर्ति तथा लाभ संबंधी कमीशन, यदि कोई हो;

(5) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें सामान्य कारोबार घंटों के दौरान किसी सदस्य द्वारा कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी;

(6) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें कंपनी की वेबसाइट पर भी डाल दी जा सकेंगी।

V. पुनः नियुक्ति :

स्वतंत्र निदेशक की पुनः नियुक्ति निष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर होगी।

VI. त्यागपत्र या हटानाः

(1) स्वतंत्र निदेशक का त्यागपत्र या हटाना उसी रीति में होगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा 168 और धारा 169 में उपबंधित है;

(2) किसी स्वतंत्र निदेशक, जो कंपनी के बोर्ड से त्यागपत्र देता है या हटाया जाता है, के स्थान पर यथास्थिति, ऐसे त्यागपत्र या हटाए जाने के एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की अवधि वो भीतर एक नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाएगा;

(3) जहां कंपनी, यथास्थिति, ऐसे त्यागपत्र या हटाने से उत्पन्न रिक्ति को भरे बिना भी इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षा को पूर्ण करती है, नए स्वतंत्र निदेशक द्वारा बदलने की अपेक्षा लागू नहीं होगी।

VII. पृथक बैठक (बैठकें):

(1) कंपनी के स्वतंत्र निदेशक वर्ष में कम से कम एक बैठक, गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना, करेंगे;

(2) कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठक में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे;

(3) बैठक में :

(क) गैर-स्वतंत्र निदेशकों और संपूर्ण बोर्ड में निष्पादन का पुनर्विलोकन होगा;

(ख) कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के निष्पादन का पुनर्विलोकन करेगा;

(ग) कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की क्वालिटी, मात्रा और समयबद्धता का निर्धारण होगा जो कि बोर्ड को अपने कर्तव्य प्रभावी ढंग से और युक्तियुक्त रूप से करने के लिए आवश्यक है।

VIII. मूल्यांकन पद्धतिः

(1) स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन, मूल्यांकित किए जाने वाले निदेशक को छोड़कर संपूर्ण निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा;

(2) निष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर यह अवधारित किया जाएगा कि क्या स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि का विस्तार करना है या उसे बनाए रखना है।

[4]["टिप्पणी: कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी कंपनी के मामले में पैराग्राफ II के उप-पैराग्राफ (2) और (7), पैराग्राफ IV, पैराग्राफ V, पैराग्राफ VII के उप-पैराग्राफ (3) के खंड (क) और (ख) और पैराग्राफ VIII के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि इन पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में अपेक्षाएं, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालयों या विभागों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती हैं और ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन सरकारी कंपनियों द्वारा किया जाता है।"]

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के उद्धरण

धारा 2 (60) – परिभाषा

(60) "अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है" से इस अधिनियम के ऐसे किसी उपबंध के प्रयोजन के लिए, जो यह अधिनियमित करता है कि कंपनी का ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारावास, जुर्माने के रूप में या अन्यथा किसी शास्ति या दंड का दायी होगा, किसी कंपनी का निम्नलिखित कोई अधिकारी अभिप्रेत है, अर्थात् :-

(i) पूर्णकालिक निदेशक;

(ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक;

(iii) जहां कोई मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक नहीं है, वहां ऐसा या ऐसे निदेशक, जिसको या जिनको इस निमित्त बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, और जिसने या जिन्होंने ऐसे विनिर्देश के लिए बोर्ड को लिखित में अपनी सहमति दे दी है, या यदि किसी निदेशक को इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो सभी निदेशक;

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति, जिस पर बोर्ड या किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के प्रत्यक्ष प्राधिकार के अधीन किसी उत्तरदायित्व का, जिसके अंतर्गत लेखाओं या अभिलेखों को बनाए रखना, फाइल करना या वितरण करना भी है, प्रभार है, किसी व्यतिक्रम को प्राधिकृत करता है, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है, जानबूझकर अनुज्ञात करता है या जानबूझकर उसका निवारण करने के लिए सक्रिय उपाय करने में असफल रहता है;

(v) ऐसे व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, जो वृत्तिक हैसियत में बोर्ड को सलाह देता है, जिसकी सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का निदेशक बोर्ड कार्य करने का अभ्यस्त है;

(vi) इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में, ऐसा प्रत्येक निदेशक, जो बोर्ड की किन्हीं कार्यवाहियों की उसके द्वारा प्राप्ति के आधार पर या ऐसी कार्यवाहियों में उस पर आक्षेप किए बिना भागीदारी के आधार पर ऐसे उल्लंघन के बारे में जानता है या जहां ऐसा उल्लंघन उसकी सहमति या मौनानुकूलता से हुआ था;

(vii) कंपनी के किन्हीं शेयरों के पुरोधरण या अंतरण के संबंध में पुरोधरण या अंतरण करने वाले शेयर अंतरण अभिकर्ता, रजिस्ट्रार और वाणिज्यिक बैंककार;

धारा 134 (5) – वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, आदि।

उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशकों के उत्तरदायित्व के कथन में निम्नलिखित कथन होगा-

(क) वार्षिक लेखे की तैयारी में लागू लेखा मानकों का तात्त्विक रूप से अनुसरण न किए जाने से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित पालन किया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी युक्तियुक्त और प्रज्ञापूर्ण लेखा नीतियों का चयन किया था और उनको लगातार लागू किया था और निर्णय तथा प्राक्कलन किए थे, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों और उस अवधि के लिए कंपनी के लाम-हानि का सही और उचित वर्णन किया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण करने के लिए समुचित और उचित सावधानी बरती थी;

(घ) निदेशकों ने चालू समुत्थान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए थे; और

(ङ) निदेशकों ने, सूचीबद्ध कंपनी की दशा में, कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अधिकथित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालित हैं।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" पद से कंपनी द्वारा अपने कारबार के सुव्यवस्थित और यक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अंगीकृत नीतियां और प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं जिनके अंतर्गत कंपनी की नीतियों की अनुशक्ति, उसकी आस्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से तैयार करना भी है;

(च) निदेशकों ने, सभी लागू विधियों के अनुसार और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली विकसित की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावशाली रूप से प्रचलित हैं।